



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

राजस्थान

सितम्बर

2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान

- राजस्थान के 17 नए जिलों पर समीक्षा बैठक
- पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33% कोटा

3

3

3

दृष्टि
The Vision

राजस्थान

राजस्थान के 17 नए जिलों पर समीक्षा बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए 17 नए जिलों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्य बिंदु

- नए जिले और संभाग: राजस्थान में नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बालोतरा, जयपुर शहर, खैरथल, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, नीमकाथाना, डीग, जोधपुर शहर, फलौदी, डीडवाना, जोधपुर ग्रामीण, सलूंबर, दूदू, केकड़ी, सांचौर, और शाहपुरा शामिल हैं।
- ◆ इसके अतिरिक्त, तीन नए संभाग-बांसवाड़ा, पाली और सीकर-बनाए गए हैं।
- लागत और प्रशासन: एक जिला बनाने में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत आती है (समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार)।
- ◆ वर्ष 2008 में स्थापित प्रतापगढ़ जिला अभी भी अधूरा है और प्रशासनिक कार्य लंबित हैं।
- भविष्य की योजनाएँ: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ललित के. पवार को 17 नए जिलों की देख-रेख करने और जनता से फीडबैक एकत्र करने के लिये पुनः नियुक्त किया गया है।
- ◆ वह समिति के आगे के विचार के लिये तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिये जिम्मेदार हैं।

पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33% कोटा

चर्चा में क्यों

हाल ही में राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण को अनुमति दी है, साथ ही पेंशनभोगियों के लिये 5% अतिरिक्त भत्ता भी दिया है।

मुख्य बिंदु

- मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन को मंजूरी दी।
- केंद्रीय सरकार पेंशन नियमों के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
- ◆ 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिये 5% अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया गया।
- ◆ यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है, तो दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों को अब पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order- PPO) में स्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है।
- ◆ राज्य कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई।

नोट: केंद्र सरकार ने मार्च 2015 में दिल्ली में गैर-राजपत्रित पदों (कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर) पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण को मंजूरी दी थी।

